

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती बिन्दू बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या: 134/2025

क्रियः :- धार्मिक-पत्र

ताथर दिनांक : 04.09.2025

निर्णय दिनांक : 30.10.2025

--:अनवान:-

1. बाली पुत्री शंकर जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. रूपी पत्नी शंकर जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द

- प्रार्थीगण

बनाम

1. अणछी पत्नी बंशी लाल जी, जाति शर्मा, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. काली पुत्री मांगी लाल जी, जाति जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
3. चांदी बाई पत्नी मांगीलाल जी, जाति जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
4. पारस बाई पत्नी नाथूलाल जी, जाति जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
5. भंवरी बाई पुत्री लेहरु लाल जी, जाति जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
6. रेखा पुत्री नाथूलाल जी, जाति जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
7. शंकरी बाई पुत्री लेहरु लाल जी, जाति जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
8. श्रीलाल पिता नाथू लाल जी, जाति जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
9. गफूर खां पिता न्याजखां जी, जाति मुसलमान, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
10. जीनाबाई पत्नी शफी मोहम्मद जी, जाति मुसलमान, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
11. नत्येखां पिता न्याजखां जी, जाति मुसलमान, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
12. शरीफ मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद जी, जाति मुसलमान, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
13. सिराज मोहम्मद पिता शफी
14. मोहम्मद जी, जाति मुसलमान, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
15. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

5/

.....विपक्षीगण




बास्ते

तहसीलदार रेलमगरा

जो कि मुल ही हुक्मनामा आपके पास भेजकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 1036 रकबा 0.6475 हे. आराजी संख्या 1038 रकबा 0.5261 हे. भूमि ग्राम सांसेरा पटवार हल्का मेहन्दूरिया तहसील रेलमगरा आप मौके पर जाकर उभयापक्षकारन की उपस्थिति में यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो एवं मौके पर निर्माण नहीं हो तो राजस्व रेकार्ड खाता एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विधिवत रूप से नपती कर पत्थरगढी के वक्त किसी के कब्जे में दखल नहीं करते हुये किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जावे। फिस पत्थरगढी 1500/- रुपये अक्षर. एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल कर राज कोष मे जमा करावे। बाद तामिल हुक्मनामा फसल कटाई के पश्चात् पत्थरगढी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

यह हुक्मानामा आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
राजसमंद